अपील/आरटीआई/14/2025

श्री बदन सिहं प्रजापति पुत्र कम्पो, ग्राम महाराजसर, पोस्ट–बोरई, जिला व तहसील भरतपुर, ग्राम पंचायत मुरवारा, पंचायत समिति सेवर, भरतपुर राज0 मो.नं. 7849900191

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 30.04.2025

आदेश

अपीलार्थी श्री बदन सिहं प्रजापति पुत्र कम्पो, ग्राम महाराजसर, पोस्ट–बोरई, जिला व तहसील भरतपुर, ग्राम पंचायत मुरवारा, पंचायत समिति सेवर, भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/345 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने अथवा नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से पत्र क्रमांक आरटरीआई/2025/255 दिनांक 30.04.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में उल्लेख किया है कि प्रार्थी बदन सिंह प्रजापति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक आरटीआई./2025/114 दिनांक 27.02.2025 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब के साथ संलग्न पत्र जो कि प्रार्थी/अपीलार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर एवं अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर